(4)

...लय खण्ड शिक्षा अधिकारी चाका, प्रयागराज

पत्रांक/बी0आर0सी0/ 880 /2020–21 दिनांक 13.08.2020

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,
महर्षि विद्या मंदिर,
ए0डी0ए0 कालोनी नैनी, प्रयागराज।

विषय– निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह और दुर्लभ वर्ग के बच्चों को कक्षा–1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रयागराज के निर्देश दिनांक 17.06.2020 एवं 24.07.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, *जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 की धारा 12 (1)(ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह और दुर्लभ वर्ग के बच्चों के अभिभावकों द्वारा आनलाइन/आफलाइन आवेदन कर आपके विद्यालय में अपने पाल्य के प्रवेश हेतु अनुरोध किया गया था, जिसके क्रम में प्रथम व द्वितीय चरण में आवेदित आवेदन पत्रों के आधार पर लाटरी के माध्यम से जिलाधिकारी, प्रयागराज, महोदय के अनुमोदनोपरान्त कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र के पत्र–पत्रांक/पृ0सं0/स0शि0अ0 नगर क्षेत्र/67–211/2020–21 दिनांक 20.06.2020 एवं पत्र–पत्रांक/पृ0सं0/स0शि0अ0 नगर क्षेत्र/391–512/2020–21 दिनांक 27.07.2020 के संलग्न सूची में अंकित बच्चों के सम्मुख उल्लिखित विवरणानुसार सम्बन्धित विद्यालय में नामांकन किये जाने से सम्बन्धित है।*

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि जिलाधिकारी, प्रयागराज, महोदय के अनुमोदनोपरान्त निर्गत सूची में अंकित बच्चों (सूची संलग्न में छात्र के नाम के सम्मुख माता/पिता/अभिभावक को अंकित मोबाइल नम्बर पर तत्काल सम्पर्क करें) का नामांकन उनके सम्मुख अंकित कक्षा में कर तत् सम्बन्धी सूचना संलग्न प्रारूप–01 व 02 पर भर कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे तत्सम्बन्धी सूचना जिलाधिकारी, प्रयागराज एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रयागराज महोदय को अग्रिम कार्यवही हेतु प्रेषित की जा सके। यह योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। अतः इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय। शिथिलिता/अनुपालन न किये जाने की दशा में उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

13.08.2020

संलग्नक–उक्तवत।

डॉ0 (सन्तोष कुमार यादव)
खण्ड शिक्षा अधिकारी
चाका, प्रयागराज

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रयागराज।
2. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र, प्रयागराज।

self attested

खण्ड शिक्षा अधिकारी
चाका, प्रयागराज